

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।


महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम वोरदा जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 44 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपिकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतीनी खाता सं.	भू प्रबंध खतीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
44	बालाराम पुत्र रामलाल हि०/४ जाति-चमार सा० देवखातेदार	44	बालाराम पुत्र रामलाल हि०/४ जाति-चमार सा० देवखातेदार	जाति-मेघवाल शेख खाला बदरखुर


वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. बालाराम पुत्र रामलाल चमार
2. जगदीश पुत्र रामलाल चमार
3. परलीबाल पुत्र रामलाल चमार
4. ....



हस्ताक्षर

जगदीशचन्द्र



रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम .....के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी  
प0म0 वोरदा

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

भू0अभिलेख निरीक्षक  
भू0अ0नि0वृ0.2.7.2.0  
2019

रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्रमांक राजस्व/2025/

दिनांक :

मलेदम, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम लोरदा के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसीलदार (भू.अ.)  
पिडावा जि. झालावाड़

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ राज०

क्रमांक राजस्व न्यायालय/2025/ 204

दिनांक : 6/10/25

वादी/प्राथी के ग्राम लोरदा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार लोरदा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित चुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लोरदा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड़ राज०